एक नजर में

शराब के नशे में पत्नी को पीटा

इंदौर . शहर के राजेंद्र नगर इलाके में घरेलू विवाद के दौरान एक शराबी पति ने अपनी पत्नी से मारपीट की, और जब उसकी साली बीच-बचाव के लिए पहुंची तो उसे भी पीट डाला . पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है . फरियादी कंचन सोलंकी ने शिकायत में बताया कि वह शिव सिटी इलाके में अपने पति हरिसिंह के साथ रहती है . रविवार रात हरिसिंह शराब के नशे में घर आया और उसे गालियां देने लगा . विरोध करने पर वह मारपीट पर उतर आया और हाथ-मुक्कों से उसे पीटने लगा . कंचन की चीख-पुकार सुनकर पास ही रहने वाली उसकी बहन मीनाक्षी सोलंकी मदद के लिए दौड़ी और बीच-बचाव करने लगी, लेकिन आरोपी पति ने उसे भी नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट कर दी . झगड़े में कंचन को गले और गाल पर गंभीर चोटें आई हैं . पुलिस ने कंचन की शिकायत पर आरोपी हरिसिंह के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है, मामले की जांच जारी है .

देपालपुर में स्वच्छता अभियान के तहत 12 दुकानदारों पर जुर्माना

देपालपुर . नगर परिषद देपालपुर ने स्वच्छता को लेकर अपनी सख्ती बढ़ा दी है . पूर्व में परिषद कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे अपने दुकानों से निकलने वाला कचरा सड़कों पर ना फेंकें और उसे उचित तरीके से निपटाएं . हालांकि इन निर्देशों की अनदेखी करने पर परिषद ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए कुल 12 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया . संबंधित दुकानदारों से 950 रुपए की राशि वसूली गई और चालान भी जारी किए गए . नगर परिषद ने नागरिकों और व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें और शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग दें .

देपालपुर से उज्जैन तक दौड़ते हुवे कावड़ यात्रा निकाली

देपालपुर . देपालपुर से उज्जैन तक दौड़ते हुवे कावड़ यात्रा निकाली . रविवार को नगर के युवाओं ने श्री चौबीस अवतार मंदिर से दर्शन पूजन कर कावड़ यात्रा प्रारंभ की, नगर से पहली बार दौड़ते हुवे युवाओं ने कावड़ यात्रा निकाली . इसमें आधा किलोमीटर तक एक युवा कावड़ लेकर दौड़ रहा था . उसके बाद वो उक्त स्थान पर अपने साथी को कावड़ दे रहा था . इस प्रकार लगभग साढ़े चार घंटे में देपालपुर से कावड़ यात्रियों ने उज्जैन पहुंच कर महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाया . कावड़ यात्रा में मोहन ठाकुर, संजू ठाकुर, अनुभव नकुम, युवराज पटेल, विशाल ठाकुर गोकुल ठाकुर, विवेक ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, चेतन ठाकुर, गौरव ठाकुर,धीरज, जतिन,पंकज दयाल, आदित्य अभिषेक चौहान, बलराज पटेल आदि युवाओं ने भाग लिया .

चांदेर से आई कावड़ यात्रा का देपालपुर में स्वागत

देपालपुर . श्रावण मास के पावन अवसर पर चांदेर गांव से निकली कावड़ यात्रा का देपालपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया . बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी पुष्पवर्षा एवं फलाहार की व्यवस्था की गई, जिसमें श्रद्धालु शिवभक्तों को विश्राम एवं सेवा प्रदान की गई . जैसे ही कावड़ यात्रा नगर में प्रवेश कर रही थी, 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा . नगरवासियों और श्रद्धालुओं ने शिवभक्तों का चरण धोकर पारंपरिक विधि से स्वागत किया . इस मौके पर समिति के संरक्षक पप्पू यादव, अमजद पहलवान, आजम खान, विवेक शर्मा, विश्वजीत यादव सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे . सिर पर कलश रखकर महिलाओं ने भक्ति भाव से एक भव्य कलश यात्रा निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची . मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने विधिपूर्वक गंगाजल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर श्रावण मास की पूजा-अर्चना संपन्न की . कार्यक्रम में चांदेर गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए . बालाजी मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन बीते कई वर्षों से नगर की एक धार्मिक परंपरा बन चुका है . इसका उद्देश्य शिवभक्त कावड़ियों को सेवा, सम्मान और सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनकी आस्था और यात्रा दोनों सार्थक हो सकें .

देवास का भैरवकुंड बना जानलेवा पिकनिक स्पॉट

- इंदौर के दो युवकों की डूबने से हुई मौत
- गौरव को बचाने उतरे विवेक भी नहीं बचे
- दो साल में गई दसवीं जान गई

नव भारत न्यूज

इंदौर. पास के देवास जिले की सीमा में स्थित भैरवकुंड एक बार फिर इंदौरवासियों के लिए जानलेवा साबित हुआ. सोमवार को पिकनिक मनाने गए दो युवकों की कुंड में डूबने से मौत हो गई. मृतकों में 16 वर्षीय गौरव कछवाय और 32 वर्षीय विवेक वर्मा शामिल हैं, दोनों इंदौर के निवासी थे.

गौरव स्कूली छात्र था और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था. घर से कहकर निकला था कि 10-15 मिनट में लौट आऊंगा, लेकिन वह सीधे दोस्तों के साथ भैरवकुंड पहुंच गया. कुंड में नहाते वक्त वह डूबने लगा तो विवेक वर्मा, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे, उसे बचाने कूदे, लेकिन वे भी पानी से बाहर नहीं निकल सके. दोनों युवक अलग-अलग ग्रुप में 24 लोगों के साथ वहां पहुंचे थे. हादसे के बाद शोर मचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. देवास से पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शव बाहर निकाले. पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव देवास जिला अस्पताल भिजवाए गए हैं.

इंदौर के दो युवकों की डूबने से हुई मौत

भैरवकुंड में पिछले दो वर्षों में यह 10वीं मौत है. बावजूद इसके इंदौर और आसपास के युवाओं के लिए यह स्थल एडवेंचर स्पॉट बना हुआ है. प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन न सुरक्षा इंतजाम हैं, न निगरानी. बिना गार्ड व किसी गाइडेंस के गहराई में उतर जाना कई बार जानलेवा साबित हो रहा है. पुलिस और प्रशासन ने एक बार फिर अपील की है कि इस तरह के जोखिम भरे स्थलों पर जाना टाला जाए, खासकर जब वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो.

पत्नी की गला रेतकर हत्या

- दोनों के साथ रहने का था विवाद
- हरदा से इंदौर आई थी महिला, बचाने आई भतीजी भी हुई घायल

नव भारत न्यूज

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र में सोमवार को घरेलू विवाद एक बार फिर हिंसा में बदल गया. सुखलिया इलाके में पति ने चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी. महिला की मौके पर मौजूद भतीजी ने बीच-बचाव की कोशिश की तो उसे भी चोट आई. गंभीर रूप से घायल महिला को एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

दीपू देवड़ा मूलत: हरदा की रहने वाली थी और कुछ दिन पहले ही अपनी नानी के घर आई थी. घटना के दिन सुबह वह अपनी बहन के घर पर थी, तभी उसका पति प्रदीप वहां पहुंचा. दोनों के बीच साथ रहने को लेकर कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. प्रदीप ने पहले तो बहस की, फिर अचानक चाकू निकालकर दीपू के गले पर वार कर दिया. यह सब दीपू की भतीजी खुशी ने अपनी आंखों से देखा. उसने बीच में आकर बचाने की कोशिश की, लेकिन चाकू से उसकी उंगली कट गई. हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया. घटना सुबह 11 बजे के करीब हुई, दीपू को तत्काल एमवाय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह बच नहीं सकी. मामले में हीरानगर थाना प्रभारी पीएल शर्मा ने बताया कि दीपू और प्रदीप के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. दीपू अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, उनका तीन साल का बेटा फिलहाल हरदा में दीपू की मां के पास रह रहा है. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों को लगाया गया है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा.

बाइक पर ढो रहे थे देशी शराब की दो पेटियां

आबकारी टीम ने दबोचा, सुदामा नगर में हुई कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. आबकारी विभाग की टीम ने रविवार को सुदामा नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी कर रहे दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया. दोनों युवक बाइक पर दो पेटी देशी शराब लेकर जा रहे थे, जिनमें 100 क्वार्टर भरे हुए थे.

कंट्रोल रूम प्रभारी देवेश चतुर्वेदी और डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के निर्देशन में हुई कार्रवाई के दौरान टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि बाइक से शराब की तस्करी की जा रही है. इस पर घेराबंदी कर मौके से दो आरोपियों अंकित पिता गुलाब सिंह सोलंकी और प्रवीण पिता राजू निनामा को हिरासत में लिया गया. बाइक की तलाशी लेने पर 2 पेटी देशी मदिरा बरामद हुई, जिसे बिना वैध अनुज्ञा परिवहन किया जा रहा था. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. सहायक आयुक्त आबकारी आरके तिवारी ने बताया कि विभाग की अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री और तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, दोहराव के मामलों में आबकारी विभाग आरोपियों की संपत्ति की जांच कर जब्ती की कार्रवाई भी आगे बढ़ा सकता है. पकड़े गए दोनों युवकों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

युवक ने की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग की आशंका

- सुसाइड नोट मिला, पुलिस कर रही मामले की जांच

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में खंडवा नाका क्षेत्र स्थित किराए के कमरे में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक की पहचान धार जिले के खुटपला गांव निवासी सुमित के रूप में हुई है, जो इंदौर के एक निजी अस्पताल में एक्स-रे टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था. प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

घटना रविवार रात की बताई जा रही है 25 वर्षीय सुमित हाल ही में करीब तीन माह पहले इंदौर आकर खंडवा नाका क्षेत्र में किराये पर रह रहा था. वह सीएचएल अपोलो अस्पताल में कार्यरत था. सुमित के भांजे विकास ने पुलिस को बताया कि रविवार को

मामा का मोबाइल बार-बार कॉल करने के बाद भी रिसीव नहीं हो रहा था. जब वे खुद कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़ने के बाद सुमित को फंदे पर लटका पाया गया. तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुमित के एक युवती से प्रेम संबंध की चर्चा थी. वहीं, मौके से एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. सुमित के परिवार में माता-पिता और बड़े भाई हैं, जो गांव में रहते हैं. सूचना मिलते ही परिजन इंदौर पहुंच गए.

दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ

भंवरकुंआ थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस आत्महत्या के कारणों की तह तक जाने के लिए दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया हैं, रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चोइथराम मंडी हत्याकांड में दो और आरोपी पकड़े गए

- विक्की और गणेश की गिरफ्तारी से खुलासे की उम्मीद

इंदौर. चोइथराम सब्जी मंडी में मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान विक्की और गणेश के रूप में हुई है. दोनों की गिरफ्तारी से पुलिस को पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं को समझने में मदद मिल रही है.

घटना पिछले दिनों राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी परिसर में हुई थी, जहां आपसी रंजिश में मजदूरी करने वाले एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. पहले चरण में पुलिस ने कुछ आरोपियों को

हिरासत में लिया था, लेकिन मामले में फरार चल रहे अन्य लोगों की तलाश जारी थी. एसीपी जोन 01 आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए विक्की और गणेश भी वारदात के दौरान मौके पर मौजूद थे और इनकी भूमिका भी हमले में सक्रिय रही थी. पूछताछ में कुछ पुराने विवाद और मंडी में वर्चस्व को लेकर चले आ रहे तनाव की बात भी सामने आई है. राजेन्द्र नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि घटना की पूरी साजिश, हथियार की बरामदगी और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है और चौइथराम मंडी क्षेत्र में निगरानी और पूछताछ बढ़ा दी गई है.

गढ़ा गोल्फ लिंक कॉलोनी में लाखों की चोरी

- तिजोरी सहित जेवर-घड़ियां गायब
- कनाड़िया थाना क्षेत्र की वारदात
- आरोपी नौकर चोरी के बाद से लापता

इंदौर. शहर के पॉश इलाके गढ़ा गोल्फ लिंक कॉलोनी स्थित एक मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. मकान मालिक के घर से लाखों रुपए मूल्य के जेवरात, महंगी घड़ियां, तिजोरी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. संदेह मकान में काम करने वाले नौकर पर है, जो घटना के बाद से लापता है.

फरियादी कुणाल पिता राजेंद्र अग्रवाल ने कनाड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह रविवार रात करीब 9 बजे जब घर लौटे तो देखा कि अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखी लोहे की तिजोरी गायब थी. इसके बाद जब उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली तो कई कीमती सामान भी नदारद मिले. किसी अज्ञात चोर ने घर में घुसकर एक सोने की चेन जिसमें तीन सोने के पेंडल लगे थे, दो व्हाइट पॉलिश वाली सोने की अंगूठियां, जिनमें से एक में हरा पत्थर और दूसरी में नीलम जड़ा था. 10 से 12 महंगी घड़ियां, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एक छोटा हरे रंग का बैग, एक लाल रंग की डायरी जिसमें अंग्रेजी में शॉप लिखा हुआ था, चोरी कर ले गए. कुणाल अग्रवाल ने पुलिस को यह भी बताया कि घटना के समय उनका नौकर सोनू कीर भी घर से गायब है. इसी के आधार पर उन्होंने शक जाहिर किया है कि सोनू ही चोरी कर फरार हुआ है. फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की. सहर्ष यादव का कहना है कि फरार नौकर की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं. घटनास्थल से आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं ताकि आरोपी की मूवमेंट का पता लगाया जा सके. जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया है, उससे साफ है कि आरोपी को घर की पूरी जानकारी थी. ऐसे में नौकर पर शक और मजबूत हो रहा है. बिना सत्यापन रखे गए नौकर पर उठे सवालइस घटना ने एक बार फिर बिना पुलिस सत्यापन के नौकर रखने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मकान के विवाद में साले ने किया चाकू से हमला

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक व्यक्ति पर उसके ही साले ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना खातीपुरा नाले के पास की है, जहां मकान के विवाद को लेकर दो रिश्तेदार आमने-सामने हो गए.

घायल की पहचान 45 वर्षीय ब्रजेश पिता रामकिशन निवासी बाणगंगा के रूप में हुई है. रविवार देर शाम ब्रजेश का अपने साले राहुल से किसी पुराने मकान के विवाद को लेकर विवाद हुआ. विवाद बढ़ा तो राहुल ने जेब से चाकू निकाला और ब्रजेश पर हमला कर दिया. चाकूबाजी में ब्रजेश को गंभीर चोट आई, जिसे आसपास मौजूद लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. हीरानगर थाना प्रभारी पीएल शर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

गरीबों को थमा रहे हजारों के बिजली बिल

मामला स्मार्ट मीटर का

इंदौर. दूसरे चरण के स्मार्ट मीटरों ने जनता की हालत खस्ता कर दी है. इससे तीन से चार गुना बिल नहीं बल्कि गरीबों को लाखो के बिल थमाए जा रहे हैं. बिना कोई सुनवाई के जबरजस्ती वसूली भी की जा रही हैं.

निम्न एवं मजदूर वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी इस स्मार्ट मीटर की बिलिंग से परेशान हो चुके हैं. जहां तक खपत की बात है तो बताया जाता है कि एसी फ्रीज जैसे बड़े उपकरणों का इस्तेमाल करने पर बिल आता है. लेकिन ज़ब दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्रों पर नजर घूमती है जहां मजदूर और निम्न वर्ग से भरा पड़ा है तो मामला अलग ही दिखाई देता है. साफ दिखाई देता है कि स्मार्ट मीटर को बनाया ही इसलिए गया है कि विद्युत विभाग ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सकें. मालवा मिल क्षेत्र में निम्न वर्ग परिवार में किसी का 72 हज़ार का तो किसी को दो लाख रुपए का लाख का बिल थमाया गया. वहीं एक अकेली बुजुर्ग महिला जिसको स्मार्ट मीटर ने दस हज़ार रुपए का बिल थमाया है. आजाद नगर क्षेत्र कि एक महिला के घर का बिल एक महीने का 15 हजार रुपए है जबकि यह महिला मजदूर वर्ग श्रेणी में आती है. इस स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से धोखा देने वाला मीटर बनाया गया है. दोपहर में इसकी खबत कम हो जाती है जबकि शाम को लोग अपने-अपने घर में पहुंचते हैं तो उसकी गति स्वत: बढ़ जाती है. साथ ही रीडिंग शुल्क भी अलग लगाया रहा है. इस महा घोटाले का विरोध प्रदर्शन देश प्रदेश में शुरू हो चुका है.

इनका कहना है ...

बेरोजगारी, महंगाई के बाद अब शहरवासी विद्युत बिल से त्रस्त हो रहे हैं. पहले 300 रुपए बिल आता था, आज उन्हीं को 5000 रुपए का बिल थमाया जा रहा है. निजीकरण और स्मार्ट मीटर जनता को लूट रहे हैं.

- अमन कुम्हारे

सोलर सिस्टम डेवलप हो चुका है कि सरकार फ्री में बिजली दे सकती है. सबसे बड़ा सोलर सिस्टम हमारे प्रदेश में लगा है. हमारी सरकार दूसरे प्रदेशों को बिजली दे रही है. मिनिमम शुल्क में हमें क्यों नहीं दे सकती.

- प्रमोद नामदेव, सामाजिक कार्यकर्ता

ज्यादा बिल पर कोई भी अधिकारी सुनता नहीं है. सिर्फ वसूली की जाती है. केंद्र, प्रदेश सरकार इन स्मार्ट मीटर को बंद करें क्योंकि मीटरों में सेटिंग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है.

- सोनू शर्मा, संयोजक बिजलीउपभोक्ता एसोसिशन इंदौर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	98353129	संपत्ति के बदले ऋण	25.06.2025	5,73,733.93/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. सदाम शाह 2. जूली शाह 3. हमीद शाह

संपत्ति का पता: आवासीय भूखंड का वह पूरा टुकड़ा जिसमें व्यवर्तित भूमि क्षेत्रफल 15X60 = 900 वर्ग फुट (कुल क्षेत्रफल 0.73 हेक्टेयर में से), पुराने खसरा संख्या 212/3/1/1, नए खसरा संख्या 212/3/1/1/1, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड संख्या 11, ओलिया गोदाम क्षेत्र, गाँव: छनेरा, आर.आई. अंचल: छनेरा, पी.एच. नो. 48, तहसील: हरसूद, जिला: खंडवा, मध्य प्रदेश- 450116, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: विक्रेता रेमिंग भूमि, पश्चिम: विक्रेता रेमिंग भूमि, उत्तर: विक्रेता रेमिंग भूमि, दक्षिण: सड़क

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांक: 22.07.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY
7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर – 452003 - 7, Race Course Road, Indore - 452003
0731-2434541, Fax no. 0731 - 2430553, Email : idaindore7@yahoo.in, Website: www.idaindore.org

जहाँ निरन्तर विकास ही लक्ष्य है

निविदा विज्ञप्ति कमांक 183/इ.टी./2025–26 दिनांक : 16.07.2025

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र आनलाईन निर्धारित शुल्क भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं।

अ. क.	पोर्टल टेण्डर कमांक व दिनांक	कार्य का नाम	अमानत राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू.)(जीएसटी सहित)	ऑन लाईन निविदा कय करने की अंतिम दिनांक (सांय 6.00 तक)
1	2025_DTCP_437311_1 14-07-2025	OPERATION AND MAINTENANCE OF SPORTS AREA AT SCHEME NO. 94 SECTOR-F, INDORE	5,00,000/-	11,800/-	04-08-2025

नोटः–निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा

कार्यपालन यंत्री
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(कों) और जमानतदार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएंगी, ताकि नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उन पर आगे ब्याज और अन्य व्यय, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और जमानतदार(कों) से सुरक्षित लेनदार को देय हो।

उधारकर्ता/गारंटर/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि, कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि और समय
1) श्रीपंचीक्रिएशन 2) विष्णु खत्री 3) संदीप खत्री 4) रजनी विष्णु लैन नंबरः- 216120910993994	44,18,736/- चैवालीस लाख अठारह हजार सात सौ छत्तीस मात्र 10.06.2024 तक	आरक्षित मूल्यः 51,30,000/- (ईक्यावन लाख तीस हजार मात्र) ईएमडीः रु. 5,13,000/- (रुपये पाँच लाख तेरह हजार मात्र)। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 11/08/2025	दिनांकः12/08/2025 समयः सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति के स्वामीः विष्णु गणपत। वह समस्त टुकड़ा और पार्सल, जो प्लॉट संख्या 7, सर्वे संख्या 1683/2, 1692, 1682/3, 1682/4 और 1682/5, पटवारी हल्का संख्या 24, आगर रोड, उज्जैन, की सीमाएँ: पूर्वः आम सड़क, पश्चिमः खुली भूमि, उत्तरः प्लॉट संख्या 08, दक्षिणः प्लॉट संख्या 06

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया संपर्क करें: 1) श्री फ्रांसिस रोजारियो - +91-8655424523 2) श्री दीपक वर्मा - +91 9301108484। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक खरीदारों/बोलीदाताओं को बयाना राशि (EMD) और अन्य शेष राशि NEFT/RTGS/DD के माध्यम से जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट www.smfgindia.com पर दिए गए लिंक पर जाएँ।

दिनांक : 22.07.2025, स्थान उज्जैन (म.प्र.)

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी -
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड